

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:- ई-20 / t-02/gen 1209/nursing/ajmer-31665-6862247/2025/95 दिनांक :- 24/02/2025

-: आदेश :-

श्रीमती तारामणी (परिवीक्षाधीन) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुरा, खण्ड आसीन्द, जिला भीलवाडा के स्वयं के आवेदन के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क.सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवकाश की अवधि	अवकाश का प्रकार
01.	08-02-2021	21-04-2021	73 दिवस	असाधारण अवकाश

नोट:- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1 (2) वित्त/नियम/2006 पार्ट-1 दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग करने के फलस्वरूप कार्मिका के परिवीक्षाकाल में असाधारण अवकाश की सीमा तक अभिवृद्धि की जायेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक :- 24/02/2025

क्रमांक:- ई-20 / t-02/gen 1209/nursing/ajmer-31665-6862247/2025/95

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप-3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी आसीन्द, भीलवाडा।
6. श्रीमती तारामणी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 21-02-2025 07:32:46